भारत सरकार

विधि और न्याय मंत्रालय

न्याय विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2274

जिसका उत्तर शुक्रवार, 29 जुलाई, 2022 को दिया जाना है

पश्चिमी बंगाल में न्यायालयों में लंबित मामले

2274. श्री सौमित्र खान :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्तमान में पश्चिम बंगाल में हत्या, बलात्कार और अवैध हथियार से संबंधित कितने मामले न्यायालयों में लंबित हैं ;

(ख) क्या इनमें से कई मामले दस वर्षों से भी अधिक समय से लंबित पड़े हैं ; और

(ग) यदि हां, तो सरकार की इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया है ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्री
(श्री किरेन रीजीजू)

(क) : जैसा कि कलकत्ता उच्च न्यायालय द्वारा सूचित किया गया है कि पश्चिमी बंगाल में वर्तमान में हत्या, बलात्संग और अवैध हथियारों से संबंधित लंबित न्यायालय मामलों की संख्या निम्नानुसार हैं:-

राज्य का नाम	तारीख 31.06.2022 तक हत्या से संबंधित लंबित न्यायालय मामलों की संख्या	तारीख 31.06.2022 तक बलात्संग से संबंधित लंबित न्यायालय मामलों की संख्या	तारीख 31.06.2022 तक अवैध हथियारों से संबंधित लंबित न्यायालय मामलों की संख्या
पश्चिमी बंगाल	10060	19936	12259

(ख) : जैसा कि कलकत्ता उच्च न्यायालय द्वारा सूचित किया गया है कि पश्चिमी बंगाल में उनमें में से, दस वर्षों से अधिक लंबित मामलों की संख्या निम्नानुसार हैः-

राज्य का नाम	हत्या से संबंधित 10 (दस) वर्षों से अधिक लंबित न्यायालय मामले	बलात्संग से संबंधित 10 (दस) वर्षों से अधिक लंबित न्यायालय मामले	अवैध हथियारों से संबंधित 10 (दस) वर्षों से अधिक लंबित न्यायालय मामले
पश्चिमी बंगाल	1136	905	2704

(ग) : न्यायालयों में लम्बित मामलों का निपटारा न्यायपालिका के कार्यक्षेत्र में है । संबंधित न्यायालयों द्वारा विभिन्न प्रकार के मामलों के निपटारे के लिए कोई समय-सीमा विहित नहीं की गई है । न्यायालयों में मामलों के निपटारे में सरकार की कोई भूमिका नहीं है । न्यायालयों में मामलों का समय पूर्ण निपटारा बहुत से कारकों पर निर्भर करता है जिसमें, अन्य बातों के साथ, न्यायाधीशों और न्यायिक अधिकारियों, सहायक न्यायालय कर्मचारिवृन्द की पर्याप्त संख्या और भौतिक अवसंरचना की उपलब्धता, अंतर्वलित तथ्यों की जटिलता, साक्ष्य की प्रकृति, पणधारियों अर्थात् बार, अन्वेषण अभिकरणों, साक्षियों तथा मुवक्किलों का सहयोग और नियमों और प्रक्रियाओं का समुचित उपयोजन, सम्मिलित है । ऐसे कई कारक हैं जिनके कारण मामलों के निपटारे में विलम्ब होता है । इनके अन्तर्गत, अन्य बातों के साथ, न्यायाधीशों की रिक्तियां, बारंबार स्थगन तथा सुनवाई के लिए मामलों को मॉनिटर, निगरानी और इकठ्ठा करने के लिए पर्याप्त व्यवस्था का अभाव है । केन्द्रीय सरकार संविधान के अनुच्छेद 21 के अनुसार मामलों के त्वरित निपटारे तथा बकाया को कम करने के लिए पूर्णतया प्रतिबद्ध है । सरकार ने न्यायपालिका द्वारा मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए एक पारिस्थितिक प्रणाली प्रदान करने के लिए कई कदम उठाए हैं ।

न्याय के परिदान और विधिक सुधार के लिए राष्ट्रीय मिशन का गठन अगस्त, 2011 में न्याय प्रणाली में विलम्ब और बकाया को कम करके और संरचनात्मक परिवर्तनों के माध्यम से जबावदेही बढ़ाकर तथा निष्पादन मानक और क्षमताओं को नियत करके दोहरे उद्देश्यों के साथ दिया गया था । मिशन, न्याय प्रशासन में बकाया और लंबन के चरणवार कम करके के लिए एक समन्वित पहुंच अपना रहा है, जिसमें, अन्य बातों के साथ, न्यायालयों के लिए बेहतर अवसंरचना, जिसके अन्तर्गत कम्प्यूटरीकरण, अधीनस्थ न्यायपालिका की संख्या में वृद्धि, अत्यधिक मुकदमेबाजी वाले क्षेत्रों में नीतिगत और विधायी उपाय, मामलों के त्वरित निपटारे के लिए न्यायालय प्रक्रिया का पुनः प्रबंधन तथा मानव संसाधन का विकास भी है ।

****